राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.3(31)खान / ग्रुप–2 / 2015 जयपुर, दिनांक 9 OCT 2017

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना क्रमांक प.4(184)खान / ग्रुप–2 / 85 दिनांक 09.02.1987 जो कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) उप–खण्ड (2) के पृष्ठ क्रमांक 395 पर दिनांक 09.02.1987 को प्रकाशित हुई, के द्वारा नागौर, जोधपुर, पाली तथा जैसलमेर जिलों के एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन क्षेत्रों को खनिज एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन का गवेषण एवं खनन राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु आरक्षित किया गया। पुनः शासन के आदेश क्रमांक प.4(184)खान / ग्रुप–2 / 85 दिनांक 09.03.1989 के द्वारा पाली तथा जोधपुर जिलों को अनारक्षित किया गया। तत्पश्चात् शासन की अधिसूचना प.4(184)खान / ग्रुप–2 / 85 दिनांक 25.09.1996 के द्वारा नागौर जिले के चार ब्लॉकों को आरक्षित रखते हुए शेष नागौर जिला अनारक्षित किया गया।

इसी क्रम में एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खनिज एसएमएस ग्रेड लाईमस्टोन के ऐसे ब्लॉक जिनमें खनिज एसएमएस ग्रेड लाईमस्टोन के भण्डार ब्लॉक में उपलब्ध कुल भण्ड़ार का 5 प्रतिशत से कम है, को ई–नीलामी से आवंटित किये जाने हेतु इस शर्त पर अनारक्षित किया जाता है कि अनुदानी लाईमस्टोन की कम्पोजिट माइनिंग करेगा, एस.एम.एस. ग्रेड लाईमस्टोन की आपूर्ति केवल स्टील प्लांट को ही करेगा तथा इस संबंध में पर्यवेक्षण एवं निगरानी की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इकबाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः–
1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय खनिज राज्यमंत्री महोदय ,राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाये तथा संबंधितों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।
2. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को अतिरिक्त प्रति एवं सी.डी. के साथ भिजाकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में अविलम्ब प्रकाशित करावे।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव